

प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के मुद्दे एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त मूल्यांकन

-
- जयप्रकाश यादव, शोधार्थी, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
 - डॉ० धर्मेन्द्र सिंह (प्रोफेसर), शोध निर्देशक, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
-

सार—

जीवन के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव प्रगति भी कर रहा है। प्राचीन रूढ़ियों परम्पराओं एवं मूल्यों का विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर नवीन परम्पराओं मूल्यों एवं विधियों का सृजन हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इन नवीन परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। आज की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक प्रधान या पाठ्यक्रम प्रधान न होकर बालक प्रधान हो गयी है “बालक ही आधुनिक शिक्षा की वह धूरी है जिसके चारों तरफ शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक तथा विद्यालय की समस्त शिक्षा व्यवस्था बालक के ही हितार्थ होती है। आधुनिक शिक्षा, बालक के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का आयोजन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की नींव का वह पत्थर है जिससे बालक की सीखने-समझने-देखने आदि की शक्ति विकसित की जाती है अर्थात् उसको सामान्य मानव-व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है। परिणामतः बच्चों की आगे की शिक्षा सुचारु रूप से चलती रहती है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की नींव पर ही बच्चों की शिक्षा निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने से बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास सम्भव होता है क्योंकि शिशुकाल से ही बालक कुछ न कुछ सीखता है और पहले परिवार से, फिर समाज से, इसमें यदि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाये तो उसका व्यक्तित्व निखर के आता है तथा उसमें सद्गुणों का विकास होता है। प्राथमिक शिक्षा को देश के कोने-कोने में पहुँचाया जा रहा है तथा शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा बनाने का संकल्प किया जा रहा है। “संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसी से स्वस्थ जनमत का निर्माण सम्भव है। प्राथमिक शिक्षा को भारत के अधिकतर व्यक्तियों की पूर्ण शिक्षा माना गया है तथा प्राथमिक शिक्षा से सामान्य जीवन जीने योग्य बनाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा से बालक को सर्वांगीण विकास के पथ पर ठीक ढंग से अग्रसित करने के लिये तैयार किया जाता है। शिक्षा इन्सान की कैमिस्ट्री ही बदल देती है। जीवन तो कुदरत से मिल जाता है पर जीवन जीने का सलीका शिक्षा देती है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक शिक्षा सबके लिए समान स्तर पर उपलब्ध नहीं रही। इसका व्यापक जन हित में उपयोग नहीं हो पाया। विशेषाधिकार के तौर पर दुरुपयोग ज्यादा किया गया। ऐसे में शिक्षा का यह बुनियादी अधिकार हमारी विकासयात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

प्रस्तावना—

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास विशेष रूप से 1947 के बाद हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनेक नीतियाँ अपनायी। जिससे कि “प्राथमिक शिक्षा” का प्रचार एवं प्रसार सारे देश में किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा समाज की प्रति का मुख्य आधार है यही कारण है कि आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षा का स्तर समाज की समृद्धि का सूचक माना जाता है। शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शिक्षकों पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय भवन आदि में सुधार के लिये प्रयासरत हैं। जो समाज अथवा राष्ट्र जितना जागरूक होगा उतनी ही सीमा तक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगा, वास्तव में जन चेतना के लिये प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानवता के हित में चिन्तन, संकल्प और कार्य कर सके “अरस्तु के शब्दों में “शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुन्दरम् का चिन्तन करने योग्य बन सके” प्राथमिक शिक्षा का विकास सामान्य जन शक्ति के विकास से सम्बद्ध है। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करती है इसी के साथ बच्चों के चरित्र का विकास करने में भी प्रयास किया जा रहा है।

मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा—

मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति धर्म तथा आदर्श लाये तथा अपने शासन को दृढ़ करने के लिये उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म तथा इस्लाम ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिये समर्पित कर दिया। मुस्लिम आक्रमणों तथा कालान्तर में मुस्लिम राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के जनजीवन में अनेक दूरगामी परिवर्तन आये। शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तन के इस प्रभाव से अछूती नहीं थी। वैदिक श्लोकों तथा बुद्ध साहित्य के साथ-साथ कुराने की आयतों का भी पाठ होने लगा। राजनैतिक सत्ता पर अपना अधिकार अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों ने परम्परागत हेतु न तो कोई औपचारिक व नियमित तथा न ही कोई व्यवस्थित शिक्षा योजना थी। परन्तु अधिकांश मुस्लिम शासकों ने इस्लामी शिक्षा की प्राप्ति पर्याप्त रुचि दिखलाई। प्रायः सभी मुस्लिम शासक शिक्षित थे।

सभी के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। शिक्षा को राज्य का उत्तर दायित्व न स्वीकारने के बावजूद भी लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। किन्तु यह कहना भा सत्य होगा कि इस काल में जनसाधारणों की शिक्षा उपेक्षित थी। उनके द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में एक नई शिक्षा नीति व्यवस्था अर्थात् इस्लामी शिक्षा की धारणा प्रवासी प्राचीन हिन्दू शिक्षा व्यवस्था राजकीय संरक्षण व प्रोत्साहन से वंचित हो गई। इसके अलावा मुस्लिम शासकों ने हिन्दू शिक्षा केन्द्रों को खुलकर लूटा पुस्तकालयों को जलाया तथा हिन्दू विद्वानों को निरुत्साहित व दण्डित किया तथा भार डाला इसके फलस्वरूप मध्यकालीन भारत में प्राचीन संस्कृत शिक्षा लगभग मृतप्रायः हो गई।

मध्यकालीन भारत में शिक्षा को एक सामाजिक कर्तव्य के रूप से स्वीकार नहीं किया जाता था। उस काल में सार्वजनिक शिक्षा कठिन हो गई थी। उच्च मुस्लिम शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा भारतीय शिक्षा—

यूरोपीय कम्पनियों डच, डेनीस, फ्रांसी पुर्तगाली, तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आयी थी। सभी यूरोपीय कम्पनियों के प्रभाव को कम करने के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय परिस्थिति में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बागडोर इंग्लैंड के पार्लैमेंट के हाथों में थी। इस कम्पनी का उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तथा व्यापार करना था।

भारतीय परिस्थितियों में उसे सभी प्रकार की परिस्थितियों हस्तक्षेप करना आवश्यक कर दिया। फलतः कम्पनी को शासन, न्याय, विधान, तथा आर्थिक कार्यों में हाथ बटाने लगी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत राजनीति में पूर्णरूपेण अधिपत्य प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षा नीति में हस्तक्षेप करना। भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने अपनी शिक्षा नीति का निर्माण किया।

सूचना का अधिकार—

सूचना के अधिकार के बाद शिक्षा का अधिकार भी हमारे बुनियादी हकों में शामिल हो गया। महिला आरक्षण विधेयक भी कानून बनने की प्रक्रिया में है। ये ऐतिहासिक निर्णय हैं जो आने वाले समय की दिशा और दशा तय करेंगे। इन्हें हमारे सामाजिक जीवन की एक नई सकारात्मक शुरुआत भी माना जा सकता है। ऊपरी तौर पर यह मामूली से निर्णय लगते हैं लेकिन सूचना के अधिकार की ही मिसाल लें तो यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है जिसके बल पर सत्ता के लौह द्वार को खोलना भले ही संभव न हो, पर उसे जालीदार तो बनाया ही जा सकता है। शर्त यही है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल करके इसे काउंटर-प्रोडक्टिव न बना दिया जाए।

हमारे देश में जब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था गांव-गांव में दस्तक दे रही थी, उसी समय उच्च-भू लोगों के लिए अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की संस्कृति भी अपनी जड़ें जमा रही थी। आखिर अंग्रेज और उनके हाकिम यह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि भारतीय देहाती और गंवारों के बच्चे उनके बच्चों की बराबरी करें। इसलिए दो तरह की शिक्षा व्यवस्था बनायी गयी जो आज तक अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा कर रही है।

एक तो यह कि आभिजात्य वर्ग की ऐंठन बरकरार रहे। उसकी संतानें नौकरों की संतानों की छूत से दूर रहें। दूसरे, पीढ़ी दर पीढ़ी मालिकों की संतानें मालिक, और नौकरों की संतानें नौकर बनती रहें। आजादी के बाद जैसे-जैसे मध्य वर्ग अमीर होता गया, अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की संस्कृति सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को तोड़ती गयी। और आज यह मरणासन्न अवस्था में है। इसके बरक्स देश के हर गली-कूचे में आपके बजट की शिक्षा की दुकान उपलब्ध है। ऐसे में शिक्षा के मौलिक अधिकार का कानून शायद सरकारी स्कूलों के लिए संजीवनी का काम कर जाए।

दरअसल होना तो यह चाहिए कि शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ शिक्षा में बराबरी की बात की जाए। एक जैसी शिक्षा ही समतामूलक समाज का आधार रख सकती है। आज भी एक तरफ टाट-पट्टी पर और

पेड़ के नीचे चलती वर्नाकुलर (देसी भाषाओं के लिए औवनिवेशिक गाली) यानी देसी भाषाओं की पाठशालाएं हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ के सिवा शायद ही कुछ करतीं हों। दूसरी तरफ विदेशी बोर्डों के पांच सितारा स्कूल हैं जो विदेश जाने के एक्सक्लूसिव हाईवे का काम करने वाले हैं। शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू पर नजर डालें तो भारतीय शिक्षा का लार्ड मैकाले का प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। उनकी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे भीतर की भारतीयता का अंग्रेजीकरण कर दिया है।

अब तो हमारी सारी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत संकट में है। इस महादेश की बहुसंख्या खेतीबाड़ी पर निर्भर रही है। काश! हमारी शिक्षा दस हजार साल पुराने इस पारंपरिक पेशे को इज्जत से देखने का संस्कार दे पाती। शिक्षा ने अपने ही समाज को अपनी ही नजरों से गिराने का गुनाह किया है और बाबूगिरी की झूठी अकड़ सिखाई है। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी, जो आधुनिक शिक्षा संदर्भों का भारतीयकरण करते हुए उन्हें हमारी शिक्षा और जनजीवन का हिस्सा बनाए।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत, जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आया है तब से राज्यों को कुल 43 हजार 668 स्कूलों, 7 लाख 560 हजार अतिरिक्त कक्षाओं, 5 लाख 46 हजार 513 शौचालयों और 33 हजार 703 पेयजल सुविधाओं को मंजूरी दी गयी है। शिक्षा का अधिकार—2009 के अनुसार 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये मुफ्त और आवश्यक शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन के जारी रहने से प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार जिला सूचना प्रणाली के अनुसार, आरम्भिक स्तर पर बच्चों के नामांकन में 2011—12 में 19—90 करोड़ के मुकाबले 2013—14 में 21—32 करोड़ तक की बढ़ोत्तरी हुई है। सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने से शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत सुधार हुआ है।

शिक्षा का अधिकार : एक आकलन—

निश्चय ही शिक्षा का अधिकार कानून भारत के इतिहास में एक बड़ा प्रस्थान बिन्दु था तथापि इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, यह सिर्फ छह से चौदह साल तक के बच्चों तक ही सीमित है, छह वर्ष से छोटे और चौदह वर्ष से बड़े बच्चे इससे बाहर रह गये हैं। इसी भांति, कानून में यह खुलासा नहीं किया गया कि अधिनियम में किये गये विभिन्न प्रावधानों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों का स्रोत क्या होगा। सार्वजनिक शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली जो शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हो, उसके नियम और मानदण्ड तब तक अधूरे रहेंगे जब तक कि समान स्कूल प्रणाली का गठन नहीं किया जाये जिसके लिए 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने अनुशंसा की है।

बहरहाल, अभी तक अधिनियम संसद द्वारा निर्धारित किये आवधिक लक्ष्यों (इसकी क्रियान्विति और कानून के मापदण्डों के अनुसार स्कूलों के सुधार को अर्जित करने में असफल रहा है।) अधिनियम के अनुसार अब आखिरी अवधि 2015 है जब तक सभी शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रत्याशा में स्कूलों और वृहद् शैक्षिक ढांचे में जो आमूलचूल रूपान्तरण होना था, वह अभी तक नहीं हुआ है। इस लिहाज से वैधानिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिहाज से खुद राज्य की यह व्यापक असफलता चिंतनीय है। सरकार द्वारा जब 2013 तक

के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किये गये तो 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य भी खतरे में पड़े दिखते हैं।

बेशक विभिन्न राज्यों में (राज्यों की विशिष्ट बाधाओं के संदर्भ में) शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत मापदण्डों की शत-प्रतिशत उपलब्धि की स्थिति का स्तर अलग-अलग है। जबकि देश के सभी हिस्सों के समूचे शैक्षिक ढांचे में एक संकट समान रूप से मौजूद है। वर्तमान में किसी भी राज्य ने शिक्षा के अधिकार कानून के समग्र क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता का ठोस इजहार नहीं किया है।

शिक्षा का अधिकार मंच के इस बार के राष्ट्रीय साझा संवाद का जोर यह देखने पर था कि अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में किस हद तक आवश्यक संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है। जबकि अधिनियम की आखिरी समय सीमा एक साल बाद समाप्त हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के पढ़ाई में सम्पूर्ण संरचना के साथ विद्यालयों की स्थापना, छात्र-शिक्षक अनुपात और अधिनियम की अनुसूची में वर्णित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तीन साल की अवधि (2013) निर्धारित की गयी थी। जबकि शिक्षकों को चयन और प्रशिक्षण के लिए पांच साल का समय (2015) प्रदान किया गया था।

शिक्षा का अधिकार मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संवाद में प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकारी सूचनाओं, शोध-अध्ययनों, मंच की राज्य इकाइयों द्वारा तैयार रिपोर्टों, क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों और अखबार की खबरों जैसी स्रोत सामग्री से तैयार किया गया था। इसके बावजूद किसी खुले और ठोस सूचना स्रोत के बिना देश भर में अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना बहुत मुश्किल है।

रिपोर्टों के अनुसार सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अधिनियम की अधिसूचना जारी कर चुके हैं जबकि 32 राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन की निगरानी के लिए निकायों का गठन किया है। विगत चार वर्षों में हालांकि शिक्षा के बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया है। बच्चे से जुड़े पहलुओं, जैसे-उन्हे भयभीत नहीं करने, शारीरिक दण्ड नहीं देने, बोर्ड परीक्षा आयोजित न करने, निजी ट्यूशन पर रोक, भर्ती प्रक्रिया और कैंपेडेशन फीस पर रोक से सम्बन्धित प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया गया है। क्रियाकलापों के संचालन और प्रबंधन के लिए देश भर के 88 प्रतिशत स्कूलों में शाला प्रबंध समितियां गठित की जा चुकी हैं। इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ए.टी.) की संस्थागत प्रणाली विकसित करना, शिक्षक भर्ती के नियमों से संशोधन और प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8 वर्षीय अवधि का पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली और अकादमिक समर्थन तंत्र में सुधारों की पहल की गयी है। इसके बावजूद किसी ने राज्य भी शिक्षा के अधिकार के मापदण्डों को समग्रता से उपलब्ध नहीं किया है। अधिनियम के सभी 10 संकेतकों का पूरी तरह निर्वहन करने वाले स्कूल केवल 8 प्रतिशत हैं।

प्रणालीगत विकास-

शिक्षा के लिए आवंटित बजट अधिनियम की सुचारु क्रियान्विति के लिए आवश्यक अनुमानित संसाधनों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2013–2014 में 50 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन इसे 27.248 करोड़ रुपये ही वास्तव में आवंटित किये गये। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में कटौती कर दी गयी, अगले वर्ष में भी अतिरिक्त कटौती लक्षित की गयी। बजट राशि देर से जारी की जाती है और व्यय किये जाने की रफ्तार भी धीमी रही। एक अध्ययन (पी.एल.आई. एस.ए. 2014) के अनुसार भारत में सर्व शिक्षा अभियान के बजट की विगत वर्ष 73 प्रतिशत की तुलना में 65 प्रतिशत राशि ही खर्च की गयी। हालांकि अनेक राज्यों में अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र की अधिसूचना जारी कर दी गयी है लेकिन एक ऐसे शिकायत निवारण तंत्र की तत्काल आवश्यकता है जो स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग सहित राज्यों के बाल अधिकार आयोगों की क्षमता पर भी इस वर्ष सवाल खड़े हुए हैं। संघर्ष के क्षेत्रों में मुश्किल हालातों की वजह से अधिनियम क्रियान्वित नहीं हो पाता है। अनुशंसा है कि –

- ❖ शिक्षा पर बजट में बढ़ोतरी (जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत तक) करना ताकि शिक्षा के अधिकार कानून की क्रियान्विति के लिए अनुमानित जरूरी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र के गठन की फोंरी आवश्यकता है।
- ❖ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य आयोगों की शक्तियों और क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि ये प्राप्त शिकायतों को तार्किक परिणति तक पहुंचा सकें।
- ❖ शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर मध्यम स्तर के शिक्षा अधिकारियों के आमुखीकरण की आवश्यकता है ताकि वे इस संदर्भ में बेहतर भूमिका निभा सकें।

सामुदायिक सहभागिता–

इस अधिनियम की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की अहम् भूमिका है। स्कूल प्रबंध समितियों को लेकर वास्तविक आंकड़े तो मिलते नहीं हैं। डी.आई.एस.ई. 2012–13 के अनुसार 88.37 प्रतिशत स्कूलों में शाला प्रबंध समितियां हैं। (इनमें दिल्ली में इनके गठन के लिए अधिसूचना ही मार्च, 2013 में जारी की गयी है और 6.93 प्रतिशत स्कूलों में ही शाला प्रबंध समितियां गठित की गयी हैं। जबकि लक्षद्वीप में इनका शत-प्रतिशत गठन हो गया है।) सच्चाई यह है कि अधिकतर स्कूलों में शाला प्रबंध समितियां केवल कागजों पर बनी हैं और कार्यशील नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहां स्कूल विकास योजना और उसके क्रियान्वयन में जन सहभागिता की कल्पना ही नहीं की जा सकती और स्थानीय समूहों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती। शाला प्रबंध समितियों और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मध्य वृहद अन्तराल है। इस प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासी निकायों की सम्बद्धता को नकारा गया है। अतः

- ❖ शाला प्रबंध समितियों को सुदृढ करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें। इनकी क्रियाशीलता पारदर्शी हो और इन्हे आगे लाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाये।

- ❖ स्कूलों के संचालन और प्रबंधन में शाला प्रबंध समितियों की सक्रिय सहभागिता के लिए उन्हें सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानीय स्वशासी प्रणाली पर इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

शिक्षकों के मुद्दे—

वर्तमान में शिक्षकों के पांच लाख स्वीकृत पद खाली हैं और 6.6 लाख कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। ऐसे 37 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं जिनमें छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय मापदण्ड 1 : 30 के विपरीत है। देश भर में छात्र-शिक्षक अनुपात में भारी विभिन्नता है, अण्डमान-निकोबार द्वीप में ये 1रू10 है तो बिहार में 1रू53 है। अभी भी देश में करीब 10 प्रतिशत स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है जो कि शिक्षा का अधिकार का खुला उल्लंघन है। शिक्षकों को अभी भी गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। हालांकि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पहल की गयी है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अभिदान शामिल है तथापि शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव की जरूरत है। इधर केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है।

- ❖ ये फॉरी तौर पर सुनिश्चित किया जाये कि कोई स्कूल एक शिक्षक का नहीं रहे। प्रधानाध्यपकों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात को अधिनियम की संगति में लाया जा सके। ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षित हों।
- ❖ शिक्षक शिक्षा अभियान को गति और विस्तार देने की आवश्यकता है, साथ ही इसमें सेवा-पूर्व प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को भी समाहित किया जाये।
- ❖ शिक्षकों की इस पेशे में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए उनकी कार्य-स्थितियों में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ❖ शिक्षकों को अन्य शिक्षणोत्तर कार्यों से पूरी तहर मुक्त करने की जरूरत है ताकि वे पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे पायें। उन्हें रिकार्ड संधारण और प्रशासनिक कार्यों में सक्षम बनाने के लिए सहयोग देने की जरूरत है।
- ❖ शिक्षण विधियों, कक्षा अनुभव को समृद्ध बनाने और बेहतर नतीजे अर्जित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा, संदर्भ व्यक्तियों की तैयारी, स्तरीय प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री और प्रभावी मूल्यांकन में विशेष निवेश की जरूरत है। गुणवत्ता शिक्षा के लक्ष्य को सर्वांगीण रूप से प्राप्त करने के लिए शिक्षक की भूमिका में गुणात्मक बदलाव की आवश्यकता है।

सामाजिक समावेशन—

स्कूल से बाहर रहे कुल 22 लाख बच्चों में से 2013-14 में केवल 44 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल से जोडा जा सका। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2013 तक कुल 32.19 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गयी थी। इनमें से 27.64 लाख बच्चे स्कूलों में नामांकित हो चुके हैं जिनके लिए 18358 संदर्भ शिक्षकों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। अभी

भी स्कूलों में भेदभाव की प्रवृत्ति कहीं न कहीं विद्यमान है जबकि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके विरुद्ध परिपत्र जारी कर चुका है। हिंसाग्रस्त और संघर्ष के क्षेत्रों में बच्चे स्कूल के बाहर रह जाने के लिए मजबूर हैं। अतएव—

- ❖ प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल से बाहर रहे बच्चे को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने, उसके मानचित्रण और सतत् सम्पर्क बनाये रखने की जरूरत है।
- ❖ शिक्षा तंत्र में भेदभाव के रूपों की पहचान करने और इन्हे समाप्त करने के लिए शिक्षकों को इन पहलुओं पर सचेत करते हुए एक आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता है।
- ❖ भेदभाव और बहिष्करण के मसलों को सम्बोधित करने के लिए जरूरी है कि स्कूल से सम्बद्ध अन्य भागीदारों के साथ वंचित समूहों के प्रतिनिधियों को भी महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में शामिल किया जाये।
- ❖ सरकार को ऐसी जगहों पर नजर दौडाने की जरूरत है जहां बच्चे बाल श्रम में नहीं लगे होने पर भी स्कूल से बाहर हैं।

शिक्षा में निजी क्षेत्र—

निजी स्कूलों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। असर 2013 (ग्रामीण भारत) रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में कुल बच्चों का नामांकन त्रिपुरा में 6.6 प्रतिशत से मणिपुर में 70.5 प्रतिशत के बीच है। हालांकि कुछ राज्यों में निजी स्कूलों के नियंत्रण के लिए सख्त नियम हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में तय मापदण्डों के उल्लंघन पर निजी स्कूलों की शिकायतों के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। देश के 25 राज्यों ने निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण बाबत अधिसूचना जारी कर दी थी। इनमें से 16 राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 में वहां 25 प्रतिशत ने इसकी अनुपालना की है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों में व्यय के पुनर्भरण की वित्तीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यय वित्त समिति का गठन किया गया है। कुछ राज्यों में सरकारी स्कूलों के निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण की खबरें हैं जिनमें मुंबई, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल हैं। शोध रपटों में आय और निजी स्कूल के बीच एक सहसम्बन्ध उजागर हुआ है। यदि किसी परिवार की आय बढ़ जाती है तो वह अपने बच्चे को निजी स्कूल में भेजता है। ऐसे में गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही बने रहते हैं। इस क्रम में निजी स्कूलों का 'शिक्षा बाजार' उत्तरोत्तर फैलता जा रहा है जो पिछले वित्त वर्ष में 3.83 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इस विस्तृत बाजार के नियंत्रण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर नियमन तंत्र की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षा की गुणवत्ता—

निश्चय ही भारत में प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है, नामांकन के लक्ष्यों की ओर भी बढ़े हैं लेकिन यह सब गुणवत्ता की कीमत पर है। केवल 10 प्रतिशत स्कूल ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सभी मापदण्डों को पूरा करते हैं। समग्र एवं सतत् मूल्यांकन (सी.सी.ई.) को

लेकर समझ स्पष्ट नहीं है और इसकी क्रियान्विति आधी अधूरी है। विशेष शिक्षण के उपक्रम प्रभावी नहीं रहे। पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति विलंब से की जाती है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधारों की दिशा में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए अनुशांसा है कि –

- ❖ देश भर के सभी स्कूल अधिनियम के मापदण्डों की अनुपालना में अपने आधारभूत ढांचे को विकसित करें और इसमें पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाये। स्कूलों से सभी मापदण्डों के आधार पर रिपोर्ट मंगवायी जायें।
- ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण सामग्री की सत्रारंभ में पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।
- ❖ समग्र एवं सतत् मूल्यांकन (सी.सी.ई.) को पद्धतियों की समीक्षा जरूरी है। इसे लेकर शिक्षकों की तैयारी अनिवार्य है। इस मूल्यांकन को लेकर एक व्यापक समझ और सर्वसम्मति बनाकर आगे बढ़ना आवश्यक है।
- ❖ विशेष शिक्षण के लिए आवश्यकता और तरीकों के हिसाब से वित्तीय प्रावधान भिन्न हो सकते हैं। लेकिन राज्य शिक्षा व्यय अथवा सर्वशिक्षा अभियान की गाइड लाइन में ऐसे खर्च के लिए जरूरी और उचित प्रावधान होने चाहिए।

निष्कर्ष—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सभी मापदण्डों को अर्जित कर लिया है। किसी भी राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने भारतीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के संकल्प को मूर्त रूप देने की कोशिश नहीं दर्शायी है। ऐसे में अभी तक प्राप्त सफलताओं के नींव पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जमीन तैयार करनी होगी। इसके लिए राष्ट्रीय जन अभियान की जरूरत है। बच्चों को स्कूलों की सार्वजनीन उपलब्धता, ठहराव और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा से ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण संभव है जो लिंग, सामाजिक श्रेणी और क्षेत्र की सापेक्षता में है। इस प्रतिवेदन में दी गयी अनुशांसाएं कुछ जरूरी पहलुओं को इंगित करती हैं जिनकी जमीनी स्तर पर समीक्षा करते रहने की आवश्यकता है। इस जन अभियान में जन समूहों, नागरिक समाज और सरकार के बीच अनवरत् संवाद और सहकार की दरकार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- डॉ0 जी0एस0 वर्मा – आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्यायें, लायल बुक डिपो, मेरठ, 2012
- सुरेश भटनागर – आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, आर0 लाल बुक, मेरठ, 2001।
- डॉ0 महावीर प्रसाद गुप्ता – भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2012।
- डॉ0 एस0पी0 गुप्ता – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, इलाहाबाद,

2011 |

- डॉ० एस०एस० माथुर – शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2, 2012 ।
- डॉ० शशिकला सरिन – डॉ० अंजली सरिन शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2009 ।
- डॉ० के०पी० पाडेय – शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2008 ।
- पाण्डेय, रामशकल – उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2, 2007 ।
- एन०आर०स्वरुप सक्सैना – शिक्षा सिद्धान्त, लायल बुक डिपो, मेरठ, 2009
- पाल एस० के० – गाइडेन्स इन मैनी लैन्डस-एजुकेशनल वोकेशनल एण्ड पर्सनल सेन्ट्रल, बुक डिपो, इलाहाबाद, 1968 ।
- आर०ए० शर्मा – शिक्षा अनुसंधान, आर० लाल, मेरठ, 1995 ।
- तिवारी, गोविन्द – “शैक्षिक एवं मनोविज्ञान अनुसंधान मूलाधार विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1985 ।
- बुच, एम०बी० – फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन-प्रथम व द्वितीय खण्ड” एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली, 2008 ।